न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 29/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/41

उनवान

1. विजय सिंह
2. शिवराम — पुत्रगण स्व. खैमी
3. होलीसिंह
4. महेश — पुत्रगण स्व. धर्मी

जाति जाटव निवासी ग्राम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादीगण अपीलान्ट्स

बनाम

1. कुंवरसिंह
2. जयपाल
3. हरीशचन्द
4. नबाव
5. राजेन्द्र सिंह

पुत्रगण रिक्खीसिंह जाति जाट निवासी ग्राम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

6. महाराज सिंह
7. रमेशचन्द्र — पुत्रगण मिट्ठू
8. अजय
9. राहुल
10. अनूप — पुत्रगण सुनहरी
11. नर्वदा विधवा सुनहरी

जाति जाटव निवासी ग्राम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

12. बाबूलाल पुत्र भोपा
13. रतनसिंह पुत्र रामदयाल
14. मोहन पुत्र गिरधारी

जाति जाटव निवासी ग्राम ऊँचा गांव तहसील व जिला भरतपुर।

15. अमरसिंह
16. नवलसिंह
17. विजयसिंह पुत्र सम्पत

जाति जाटव निवासी ग्राम चक एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

18. नरेश
19. दिनेश
20. निकेश

पुत्रगण भगवानसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

21. भूपसिंह पुत्र भवूती जाति जाटव निवासी ग्राम सज्जनवास तहसील रुपवास जिला भरतपुर।
22. शान्ती विधवा सूपरिया
23. नीरज
24. चेतराम
25. नेकराम — पुत्रगण सूपरिया
26. तेजसिंह
27. मुरारीलाल — पुत्रगण श्यामा

जाति जाटव निवासी ग्राम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

28. रवीता पत्नी धर्मवीरसिंह
29. वंश पुत्र धर्मसिंह
30. शिवचरन –मृतक
    30/1 गोगा पत्नी शिवचरन
    30/2 लालाराम पुत्र शिवचरन
31. गणेशी पुत्र ठन्डी

जाति जाटव निवासी ग्राम एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।

32. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 268/2024 बउनवानी विजयसिंह बनाम कुंवर सिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री भूपत कुमार जैन उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 22 से 31 श्री दिलीप सिंह उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक : 08.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 268/2024 बउनवानी विजयसिंह बनाम कुंवर सिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया था। उक्त दावे में वादीगण ने यह निवेदन किया था कि वादीगण के पितागण साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 432/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम एक्टा व साबिक खसरा नम्बर 218/27–28 रकबा 2 बीघा ग्राम चक एक्टा के काबिज खातेदार काश्तकार थे उस रकबा के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं हाल बन्दोबस्त विभाग में ग्राम एक्टा में नवीन खसरा नम्बर 8 का रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 164 का रकबा 0.30 हैक्टर मौका के खिलाफ 0.33 हैक्टेयर कम तथा ग्राम चक एक्टा मे नवीन खसरा नम्बर 164 का क्षेत्रफल 0.11 हैक्टेयर मौका के खिलाफ 0.21 हैक्टेयर गलत दर्ज किया है जिसे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 31 के बढे हुए रकबा से नवीन माप अनुसार सही व दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.12.2024 को दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूपत कुमार जैन एवं रेस्पोडेन्ट सं. 22 से 31 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का निर्वचन मनमानी तरीके से करते हुए दावा वादीगण खारिज करने में कानूनी भूल की है। जबकि धारा 136 की जॉच रिपोर्ट में तहसील अधिकारियों ने यह माना है कि रकबा कमी बेशी दर्ज हुआ है और तरमीम की आवश्यकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जॉच रिपोर्ट पर कतई ध्यान नहीं देते हुए दावा वादीगण अपीलान्ट खारिज करने मे कानूनी गलती की है। वादीगण ने राजस्थान सरकार को लैण्ड होल्डर होने के सबव पक्षकार बनाया गया था और दावा दायर करने से पूर्व राजस्थान सरकार को धारा 80 सी पी सी का नोटिस जरिये वकील प्रेषित कराया था जिसका उत्तर राजस्थान सरकार की ओर से नही दिया गया।वादीगण के पितागण खास भाई थे और ग्राम एक्टा मे साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 432/2 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा व खसरा नम्बर 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किता 2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम चक एक्टा मे साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 218/27–28 रकबा 2 बीघा के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जिनकी डौल मेड साबिक बन्दोबस्त अनुसार मौके पर आज भी कायम है और जब तक वह जीवित रहे वहैसियत खातेदार काश्तकर काश्त करते रहे व राज लगान अदा करते रहे। संवत 2042 मे सम्पन्न हुऐ हाल बन्दोबस्त मे उक्त खसरा नम्बर के कमशः ग्राम एक्टा मे नवीन खसरा नम्बर 8 रकबा 0.42 है० व 164 रकबा 0.30 है० तथा ग्राम चक एक्टा में खसरा नम्बर 164 रकबा 0.11 है० बनाकर श्री खैमी व धर्मी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। श्री खैमी व धर्मी के स्वर्गवास हो जाने पर विरासतन का दाखिल खारिज वादीगण के हक मे हो गया। उक्त साबिक खसरा नम्बरान पर जिस तरह खैमी व धर्मी काबिज थे और काश्त कर रहे थे उसी आराजी पर आज भी वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 32 के अधीनस्थ बन्दोबस्त अधिकारियो ने मौके के खिलाफ अन्य खातेदारान से मिल्लत कर उनके नवीन खसरा नम्बरान का रकबा वेशी दर्ज कर दिया व वादीगण का रकबा कम दर्ज कर दिया जिस कारण वादीगण के पितागण ने धारा 136 प्रार्थना–पत्र रकबा दुरूस्ती बाबत् पेश किया था। तहसीलदार भरतपुर के यहॉ से प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो की बावत रिपोर्ट भी तलब की। लेकिन एडीशनल लैण्ड रिकार्ड आफीसर ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि रिपोर्ट से स्पष्ट था कि वादीगण का रकबा ग्राम एक्टा में 0.33 है0 कम तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 का रकवा 0.38 है० वेशी पाया गया। इसी तरह ग्राम चक एक्टा में 0.21 है० रकबा वादीगण का कम तथा 15 लगायत 31 प्रतिवादीगण के रकबा मे वेशी पाया गया। विवादित खसरा नम्बरान का रकबा कमी वेशी दर्ज तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारियों की कार्यवाही से हुआ है जबकि बन्दोबस्त अधिकारियों का राजस्व रिकार्ड में हेरा–फेरी करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का दावा घोषणात्मक है एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही थी जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित होता है फिर भी इस तथ्य पर कोई गौर नहीं करते हुए दावा वादीगण अपीलान्ट्स खारिज करने मे कानूनी गलती की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 04.12.2024 निरस्त फरमाई जाकर दावा वादीगण अपीलान्ट्स डिक्री किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण का यह कहना कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 32 के अधीनस्थ बन्दोबस्त अधिकारियो ने मौके के खिलाफ अन्य खातेदारान से मिल्लत कर उनके नवीन खसरा नम्बरान का रकबा वेशी दर्ज कर दिया व वादीगण का रकबा कम दर्ज कर दिया गया, कतई गलत है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने रकबा कम वेशी होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। वादी को ही अपना दावा दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सिद्ध करना होता है। अपीलान्ट्स ने न्यायालय तहत में झूंठा वाद पेश किया था क्योंकि वाद को सिद्ध करने के लिए अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में इससे सम्बन्धित कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध होता हो। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलान्ट का वाद साक्ष्य के अभाव खारिज कर दिया गया। जो विधिसम्मत रुप से सही है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 05.02.2025 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर यह कथन किया कि वादीगण के पितागण साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 432/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम एक्टा व साबिक खसरा नम्बर 218/27–28 रकबा 2 बीघा ग्राम चक एक्टा के काबिज खातेदार काश्तकार थे उस रकबा के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं हाल बन्दोबस्त विभाग में ग्राम एक्टा में नवीन खसरा नम्बर 8 का रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 164 का रकबा 0.30 हैक्टर मौका के खिलाफ 0.33 हैक्टेयर कम तथा ग्राम चक एक्टा मे नवीन खसरा नम्बर 164 का क्षेत्रफल 0.11 हैक्टेयर मौका के खिलाफ 0.21 हैक्टेयर गलत दर्ज किया है। वादीगण ने अपने वाद के अन्त में यह अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 31 के बढे हुए रकबा से नवीन माप अनुसार सही व दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। **न्यायालय तहत ने दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि "दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।"**

अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में मुख्य आधार यह लिया हैं कि वादीगण के पितागण खास भाई थे और ग्राम एक्टा मे साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 432/2 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा व खसरा नम्बर 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किता 2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम चक एक्टा मे साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 218/27–28 रकबा 2 बीघा के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जिनकी डौल मेड साबिक बन्दोबस्त अनुसार मौके पर आज भी कायम है और जब तक वह जीवित रहे वहैसियत खातेदार काश्तकर काश्त करते रहे व राज लगान अदा करते रहे। संवत 2042 मे सम्पन्न हुऐ हाल बन्दोबस्त मे उक्त खसरा नम्बर के कमशः ग्राम एक्टा मे नवीन खसरा नम्बर 8 रकबा 0.42 है० व 164 रकबा 0.30 है० तथा ग्राम चक एक्टा में खसरा नम्बर 164 रकबा 0.11 है० बनाकर श्री खैमी व धर्मी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। श्री खैमी व धर्मी के स्वर्गवास हो जाने पर विरासतन का दाखिल खारिज वादीगण के हक मे हो गया। उक्त साबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खसरा नम्बरान पर जिस तरह खैमी व धर्मी काबिज थे और काश्त कर रहे थे उसी आराजी पर आज भी वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 32 के अधीनस्थ बन्दोबस्त अधिकारियो ने मौके के खिलाफ अन्य खातेदारान से मिल्लत कर उनके नवीन खसरा नम्बरान का रकबा वेशी दर्ज कर दिया व वादीगण का रकबा कम दर्ज कर दिया जिस कारण वादीगण के पितागण ने धारा 136 प्रार्थना–पत्र रकबा दुरूस्ती बाबत् पेश किया था। तहसीलदार भरतपुर के यहाँ से प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो की बावत रिपोर्ट भी तलब की। लेकिन एडीशनल लैण्ड रिकार्ड आफीसर ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि रिपोर्ट से स्पष्ट था कि वादीगण का रकबा ग्राम एक्टा में 0.33 है0 कम तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 का रकवा 0.38 है० वेशी पाया गया। इसी तरह ग्राम चक एक्टा में 0.21 है० रकबा वादीगण का कम तथा 15 लगायत 31 प्रतिवादीगण के रकबा मे वेशी पाया गया। विवादित खसरा नम्बरान का रकबा कमी वेशी दर्ज तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारियों की कार्यवाही से हुआ है जबकि बन्दोबस्त अधिकारियों का राजस्व रिकार्ड में हेरा–फेरी करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही का था जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित होता है।

इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबंध साबिक खसरा नम्बरान की जगह ही हाल खसरा नम्बरान को निर्मित करना चाहिए। एक खातेदार के साबिक खसरा नम्बर का हाल खसरा नम्बर निर्मित करते समय जो भी परिवर्तन हाल नक्शे में भू–प्रबंध नियमों के तहत किए जाने हैं उनको उस खातेदार की भूमि तक सीमित रहते हुए ही करने चाहिए अर्थात न तो उसके रकबे में अन्तर आना चाहिए न खातेदारी में परिवर्तन करना चाहिए एवं न ही हाल नक्शा किसी भी स्थिति में नियमानुसार साबिक खसरा नम्बर की भौतिक स्थिति से बाहर निर्मित करना चाहिए। लेकिन हस्तगत प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जैसे जमाबन्दी एवं हाल नक्शा किश्तवार साबिक के अनुसार नहीं बनाये गए हैं एवं मिलान क्षेत्रफल भी सही नहीं बनाया है। वादीगण का कथन है कि मौके पर वे साबिक खसरा नम्बर अनुसार पूर्व में दर्ज खातेदारी भूमि के रकबे जितनी ही भूमि पर काबिज हैं एवं साबिक नक्शे अनुसार काबिज हैं लेकिन जमाबन्दी एवं नक्शे में (हाल में) रकबा कम कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह रकबा उसके चिपटेवा किसी न किसी खसरा नम्बर में दौराने भू–प्रबन्ध मिला दिया गया है एवं उसी अनुसार ही साबिक नक्शे से हाल नक्शे में परिवर्तन भी हुआ है एवं उस मिले हुए रकबे को पूर्व साबिक खसरा नम्बर जो साबिक नक्शा में जिस जगह स्थित था उस अनुसार शुद्धि की जानी चाहिए। यह सही है कि वादी को अपना वाद साबिक जमाबन्दी, हाल जमाबन्दी, साबिक राजस्व नक्शा, हाल राजस्व नक्शा एवं मिलान क्षेत्रफल आदि साक्ष्य पेश कर इसे सिद्ध किया जाना चाहिए। न्यायिक दृष्टांत 2007(1) RRT 736 के अनुसार ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा विवाद के निर्णय हेतु समुचित जांच की आवश्यकता होती है जिसमें दोनों पक्षकारों के अलावा भी आस–पडौस के खातेदारों की भूमि की बढत–घटत पर विचार किया जाकर ही वास्तविक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट का कथन है कि साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 432/2 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा व खसरा नम्बर 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किता 2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम चक एक्टा मे साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 218/27–28 रकबा 2 बीघा के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जिनकी डौल–मेड साबिक बन्दोबस्त अनुसार मौके पर आज भी कायम है और जब तक वह जीवित रहे वहैसियत खातेदार काश्तकर काश्त करते रहे व राज लगान अदा करते रहे। संवत 2042 मे सम्पन्न हुऐ हाल बन्दोबस्त मे उक्त खसरा नम्बर के कमशः ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

एक्टा मे नवीन खसरा नम्बर 8 रकबा 0.42 है० व 164 रकबा 0.30 है० तथा ग्राम चक एक्टा में खसरा नम्बर 164 रकबा 0.11 है० बनाकर श्री खैमी व धर्मी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। श्री खैमी व धर्मी के स्वर्गवास हो जाने पर विरासतन का दाखिल खारिज वादीगण के हक मे हो गया। उक्त साबिक खसरा नम्बरान पर जिस तरह खैमी व धर्मी काबिज थे और काश्त कर रहे थे उसी आराजी पर आज भी वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण का रकबा ग्राम एक्टा में 0.33 है0 कम तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 का रकबा 0.38 है० वेशी पाया गया। साबिक खसरा नम्बर 432/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 218/27–28 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम चक एक्टा की तत्समय कितने रकबे पर किस प्रकार खातेदारी दर्ज थी यह भी परीक्षण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वास्तविक रुप से ऐसे मामलों में सही स्थिति तभी ज्ञात हो सकती है जब मौके पर उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम यह मौका परिक्षण रिपोर्ट तैयार करें कि वादग्रस्त :–

1. साबिक नक्शा में साबिक खसरा नम्बर 432/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं ख.न. 218/27–28 जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल नक्शा में कौनसा हाल खसरा नम्बर बनाया गया है, उसका रकबा कितना है एवं वह किसकी खातेदारी में दर्ज है।
2. मौके पर साबिक नक्शा के साबिक खसरा नम्बर एवं साबिक खाता अनुसार भौतिक कब्जा किसका है।
3. साबिक नक्शा में जिस जगह साबिक खसरा नम्बर स्थित है उसकी जगह हाल नक्शा में खसरा नम्बर बना है या नहीं? यदि नही तो किस–किस हाल खसरा नम्बर के नक्शे में साबिक खसरा नम्बर का रकबा घटा या बढ़ा है?

यह रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जाने पर साबिक व हाल नक्शे व रिकार्ड का अवलोकन कर मौका परीक्षण रिपोर्ट से मिलान कर उसके तथ्यों के आधार पर दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा के आदेश पारित करने चाहिए। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2024 अपास्त किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिवत रुप से उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूत लेकर, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उपर्युक्त रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें।
10. निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर